*प्रेस नोट*

*जनपद – संतकबीरनगर*

*दिनाँक 07.06.2026*

***क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर सेल थाना दुधारा पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए वापस कराई गई 4,000 रु0 की धनराशि***

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर सेल थाना दुधारा की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं जननी सुरक्षा योजना (JSY) का लाभ दिलाने का झांसा अज्ञात व्यक्ति के बैंक खाते में गयी 4,000रु0 की धनराशि पीड़िता को वापस करायी गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः-*** थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत ग्राम कूड़िमनमन निवासी हरिश्चन्द्र यादव की पत्नी को दिनांक 03.06.2026 को अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा फोन कर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) एवं जननी सुरक्षा योजना (JSY) का लाभ दिलाने का झांसा दिया गया। आरोपी द्वारा धोखाधड़ी कर पीड़िता से 4,000 रु0 की धनराशि साइबर फ्रॉड कर ली गई।

थाना दुधारा पर घटना की जानकारी होने पर पीड़िता द्वारा तत्काल साइबर हेल्पलाइन एवं पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत प्राप्त होते ही थाना दुधारा की साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आवश्यक तकनीकी एवं विधिक कार्यवाही की गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता की संपूर्ण धनराशि 4,000 रु0 वापस कराई गई।

***साइबर टीम में शामिल कर्मचारीगण :-*** का0 अनुज कुमार, का0 ऋषिकेश यादव, का0 हर्ष सिंह,म0 का0 एकता सिंह।

***जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।***

***मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, अपहृता बरामद***

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद *श्री जय प्रकराश दुबे* की गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 476/2026 धारा 87,137(2) बी0एन0एस0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता शिवम उर्फ एवांक पुत्र राकेश निवासी पढोकर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 07.06.2026 को सरैया बाइपास के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री को उक्त अभियुक्त द्वारा शादी का झांसा देकर बहलाफुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनाँक 05.06.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया तथा अपहृता को बरामद किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*** उ0नि0 श्री रामअवध यादव, हे0का0क सुशील कुमार, का0 प्रशांत विक्रम सिंह, म0का0 प्रतिक्षा यादव।

***युवक की ईमानदारी से खोया हुआ मोबाइल उसके स्वामी को मिला वापस***

आज दिनांक 07.06.2026 को थाना महुली क्षेत्र के ग्राम भगौतीपुर निवासी राकेश चन्द पुत्र स्वर्गीय राजबली ने ईमानदारी एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय देते हुए एक गिरे हुए मोबाइल फोन को पाकर तत्काल इसकी सूचना थाना महुली पुलिस को दी । सूचना प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए मोबाइल धारक की पहचान एवं पता-ठिकाना ज्ञात करने का प्रयास किया गया । जांच के दौरान मोबाइल फोन के स्वामी का नाम हिमांशु मिश्रा पुत्र श्री वीरेंद्र मिश्रा निवासी ग्राम महुली खास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर होना पाया गया ।

इसके उपरांत थाना महुली पुलिस द्वारा हिमांशु मिश्रा को थाना बुलाकर आवश्यक सत्यापन के बाद उनका मोबाइल फोन सकुशल सुपुर्द किया गया । अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर विमलेश मिश्रा के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी तथा उन्होंने राकेश चन्द एवं थाना महुली पुलिस का आभार व्यक्त किया। थानाध्यक्ष महुली एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों द्वारा राकेश चन्द की ईमानदारी की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया गया तथा अन्य लोगों को भी ऐसी परिस्थितियों में ईमानदारी एवं जिम्मेदारी का परिचय देने के लिए प्रेरित किया गया।

थाना महुली पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की खोई हुई वस्तु मिलने पर निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें, जिससे वस्तु को उसके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाया जा सके ।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार***

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
***थाना धर्मसिंहवा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 328 वाहनों से 3,37,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 07.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 328 वाहनों से 3,37,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

*